

## अनुमति की शर्तें ।

- (ii) भवन/सूक्ष्म के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (iii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपूति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iv) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (v) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पकाज सिड्डी केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 666 दिनांक 11/08/2020

(जी+) आवासीय पार्श्वजिहा  $\odot$  डा. अश्विनी कल्याण व्याम एवं  $\odot$  श्रीमती मृगाका ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No. 17 ई 842 चोपामनी इडस्ट्री के भवन निर्माण हेतु मानयित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20817/- जमा करिये रसीद संख्या 9069/925/926 दिनांक 11/08/2020 को जमा करा दी है ।

11/08/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Received

14/08/2020

श्री सुबोध शर्मा  
OS